*केंद्रीय बैंकिंग के लिए जलवायु संबंधी संकट**

एम राजेश्वर राव

देवियो और सज्जनो, नमस्ते

मुझे 'केंद्रीय बैंकिंग के लिए जलवायु संबंधी संकट' विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन और हम पर इसका प्रभाव अब कोई नया विषय नहीं रह गया है। बढ़ते वैश्विक तापमान, चरम मौसम की घटनाएं, बदलते मौसम के स्वरूप और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण से हमारे जीवन और आजीविका को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हमें जल्दी ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना होगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इससे सोच-समझकर और सुनियोजित तरीके से निपटें या वक्त आने पर निपटें। इस दृष्टि से इस चर्चा के लिए चुना गया समय काफी उपयुक्त है जो इस मुद्दे पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन हमारी दीर्घकालिक संवृद्धि और समृद्धि के लिए खतरा है। इसमें मौद्रिक स्थिरता, संवृद्धि, वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए आघात पैदा करने की क्षमता है। इसलिए, आज की चर्चा के विषय को ध्यान में रखते हुए, मेरे वक्तव्य में मैं जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिणामों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका पर चर्चा करना चाहूंगा।

ऐसे कई कारक होंगे जो भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करेंगे। इसमें जलवायु से संबंधित नीतियों और विनियमों में परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव और उपभोक्ताओं में व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। एक शाश्वत भविष्य के लिए सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकारें, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, नागरिक समाज संगठन और जनता शामिल हो।

केंद्रीय बैंक, आमतौर पर, मौद्रिक नीति और संवृद्धि, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के सवालों से संबंधित होते हैं। भारत सहित कई देशों में, केंद्रीय बैंकों को सांविधिक रूप से दिए गए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें उन जोखिमों और खतरों को संबोधित करना चाहिए जो उनके मुख्य कार्य को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन इस तरह के जोखिम पैदा करता है। इसलिए, उन्हें उन परिणामों का प्रबंधन करना चाहिए जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता को प्रभावित कर सकते हैं।

एक बैंकर के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम मुख्य रूप से दो माध्यमों से व्यापक आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, वे हैं - भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम। भौतिक जोखिम जलवायु घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणामों को संदर्भित करते हैं, जैसे कि जंगल की आग, तूफान और बाढ़। संक्रमण जोखिम अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने की दिशा में समायोजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को संदर्भित करते हैं। उदाहरण के लिए, तूफान या बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं उत्पादन और आपूर्ति शृंखला को बाधित कर सकती हैं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी पैदा कर सकती हैं। इससे कीमतों में अचानक वृद्धि हो सकती है जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। फिर, भारत में, बढ़ते तापमान, गर्मी की लहरें और वर्षा के बदलते स्वरूप भी फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ कृषि उपज की कीमतें अधिक या कभी-कभी कम हो सकती हैं। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों, के लिए उनकी कीमतों में अनिश्चितता आ सकती है। इस तरह की अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के मापन और प्रबंधन और मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को नियंत्रण में रखना मुश्किल बना सकती हैं।

एक अन्य चुनौती जो जलवायु परिवर्तन के भौतिक जोखिम आयाम के कारण उत्पन्न हो सकती है, वह है बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नुकसान की बढ़ती संभावना। सबसे पहले, इन वित्तीय संस्थाओं का संचालन जलवायु घटनाओं के कारण नुकसान की चपेट में आ सकता है यदि वे एक संवेदनशील भौगोलिक स्थान में केंद्रित हैं। दूसरा, जिन आस्तियों को उन्होंने वित्तपोषित किया है या संपार्श्विक के रूप में लिया है, वे प्रतिकूल

* केंद्रीय बैंकिंग के लिए जलवायु संबंधी संकट विषय पर उप गवर्नर पैनल चर्चा (बुधवार, 19 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आईएमएफ और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित) में श्री एम. राजेश्वर राव का वक्तव्य।

जलवायु घटनाओं के कारण अनुपलब्ध हो सकती हैं या मूल्य खो सकती हैं। इस तरह के ऋण गैर-निष्पादित हो सकते हैं, जिससे बैंक की आगे ऋण देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

संक्रमण जोखिम, यदि ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो कार्बन-गहन आस्तियों की कीमतों में अचानक गिरावट या जोखिम प्रीमिया में वृद्धि या दोनों बातें हो सकती हैं, जिससे उन्हें बनाए रखना अनाकर्षक हो सकता है और वित्तीय बाजारों में बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, हरित आस्तियों की कीमतें असंगत रूप से बढ़ सकती हैं जिससे बुलबुले जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा, ऐसी आस्तियों की बढ़ती मांग ग्रीनवाशिंग चिंताओं को जन्म दे सकती है। अव्यवस्थित संक्रमण विकट परिस्थितियां पैदा कर सकता है जहां एक क्षेत्र या उद्योग पर्याप्त और व्यवहार्य विकल्पों के निर्माण के बिना ऋण निकासी या प्रतिबंधात्मक लागत का सामना कर सकता है। ऐसी स्थितियां आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को सीमित कर सकती हैं या उत्पादन की लागत में वृद्धि कर सकती हैं।

इसलिए, केंद्रीय बैंक उन जोखिमों को पहचानना और मूल्यांकन करना शुरू कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और विनियमित संस्थाओं के लिए पैदा कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम भौगोलिक सीमाओं और क्षेत्रीय विभाजन के परे होते हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन और बीसीबीएस और एफएसबी जैसे मानक निर्धारणकर्ता निकाय जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर, जी -20 के तत्वावधान में कई प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। विभिन्न मानक निर्धारणकर्ता निकाय जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कार्य कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने "जलवायु परिवर्तन से होने वाले वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए रोडमैप" प्रकाशित किया था, जिसे जुलाई 2021 में जी 20 द्वारा अनुमोदित किया गया था और तब से उसे अद्यतन किया गया है। यह रोडमैप जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित योजना निर्धारित करता है और इन चार क्षेत्रों को शामिल करता है - फर्म-स्तरीय प्रकटीकरण, डेटा, कमजोरियां, और विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी प्रथाएं और साधन।

जलवायु घटनाओं के परिणाम, तीव्रता, गंभीरता और आवृत्ति को मापना मुश्किल है और भविष्यवाणी करना कठिन है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर इन घटनाओं के प्रभाव को मापना और भी कठिन है। इसलिए, उन जोखिमों के प्रबंधन में पहला कदम, जिनके लिए बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं जलवायु घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं, एक्पोज़र में जोखिम की मात्रा को मापना है। यह केवल तभी संभव है जब फर्म पर्याप्त और पारदर्शी रूप से अपने संचालन की कार्बन तीव्रता का खुलासा करें। जलवायु घटनाओं के लिए फर्मों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक्सपोज़र से संबंधित डेटा संक्रमण की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड (आईएसएसबी) वैश्विक शाश्वतता से संबंधित प्रकटीकरण प्रारूप को स्वरूप देने पर काम कर रहा है। इन मानकों से कंपनियों में शाश्वतता प्रकटीकरण में भरोसा और विश्वास में सुधार करने में मदद मिलेगी और जलवायु से संबंधित जोखिमों से उत्पन्न होने वाले प्रभाव और अवसरों तथा उनकी संभावनाओं के बारे में प्रकटीकरण के लिए एक आम भाषाशैली भी बनेगी।

इस प्रक्रिया में अगला कदम डेटा की उपलब्धता और कमजोरियों की पहचान सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमें कमजोरियों की पहचान के लिए समय के अनुरूप, पारदर्शी, मानकीकृत और अग्रगामी प्रकटीकरण की आवश्यकता है। फर्म-स्तरीय एक परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बैंकों और अन्य उधारदाताओं को ऐसी कमजोरियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में, हम जल्द ही बैंकों को उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो की जलवायु संबंधी कमजोरी के लिए तनाव परीक्षण पर मार्गदर्शन जारी करने की योजना बना रहे हैं।

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए अधिदेश के आधार पर केंद्रीय बैंकों को वित्तीय प्रणाली के भीतर संस्थानों के व्यवहार को दिशा देने,

जलवायु के अनुकूल निवेश को प्रोत्साहित करने और शाश्वत विकास के लिए पूंजी जुटाने का समर्थन करने के लिए विशिष्ट रूप से नियोजित किया गया है। अधिकांश बार केंद्रीय बैंकों ने हरित वित्त को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन संरचना का उपयोग किया है। वित्तीय बाजार भी निवेश निर्णय लेने में जलवायु जोखिमों और अवसरों को एकीकृत करना शुरू कर रहे हैं। ईएसजी केंद्रित निधियों की संख्या वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। संस्थागत निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी कंपनियां, जिनमें उन्होंने निवेश किया है, जलवायु से संबंधित विस्तृत वित्तीय प्रकटीकरण करेंगी, शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगी, संक्रमण योजनाओं की घोषणा करेंगी और प्रगति की सूचना देंगी। ग्रीन बॉन्ड, क्लाइमेट फंड और मिश्रित वित्त तंत्र जलवायु परियोजनाओं की ओर निजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि, ये घटनाक्रम ग्रीनवाशिंग चिंताओं को भी जन्म देते हैं, जिसके लिए भविष्य में विनियामकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिसे 'ग्रीन' के रूप में पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में 'ग्रीन' है।

हालांकि दोहराव होगा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि केवल नए हरित उद्यमों का वित्तपोषण पर्याप्त नहीं होगा। हमें मौजूदा उत्सर्जक फर्मों के लिए उनके उत्पादन या विकास से समझौता किए बिना विश्वसनीय संक्रमण योजनाओं की आवश्यकता होगी। इसे मूर्त रूप देने के लिए, केंद्रीय बैंक अपने पर्यवेक्षी ढांचे में जलवायु से संबंधित जोखिमों को शामिल कर सकते हैं और हरित वित्त के लिए ढांचे और मानकों के विकास में योगदान कर सकते हैं। ये ढांचे हरित वित्त बाजार में पारदर्शिता, मानकीकरण और अखंडता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

वर्षों से रिज़र्व बैंक हरित वित्त पहलों को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय कर रहा है। उदाहरण के लिए, अक्षय ऊर्जा परियोजना वित्त को बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) पोर्टफोलियो के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। इस वर्ष की शुरुआत में रिज़र्व बैंक ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) को सफलतापूर्वक जारी करने में भारत सरकार को सहायता उपलब्ध कराई थी। एसजीआरबी की आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में निवेश करने का इरादा है जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करेंगी। एसआरजीबी जारी करने से अन्य वित्तीय साधनों के लिए मूल्य खोज में भी मदद मिलेगी और देश में हरित वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बाजार के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों में बदल सकता है और व्यापक वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रतिकूल असर हो सकते हैं, रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से विचार प्राप्त करने के लिए जुलाई 2022 में एक चर्चा पत्र जारी किया था। प्राप्त फीडबैक और सुझावों के आधार पर, हमने 'ग्रीन डिपॉजिट' की स्वीकृति के लिए निर्देश जारी किए हैं, जबकि 'जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों' पर एक प्रकटीकरण ढांचा और जलवायु 'परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण' पर मार्गदर्शन पर भी काम चल रहा है। हाल ही में जारी मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, 2022-23[1] की थीम 'एक स्वच्छ हरित भारत की ओर' है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के व्यापक वित्तीय प्रभावों और भारत के लिए संभावित राजकोषीय, मौद्रिक, विनियामकीय और अन्य नीति विकल्पों पर चर्चा की गई है।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रणालीगत प्रभाव की वैश्विक समझ विकसित हो रही है और तदनुसार, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रियाएं भी विकसित हो रही हैं। हमें केंद्रीय बैंकों, वित्तीय फर्मों, वास्तविक अर्थव्यवस्था के सहभागियों को जलवायु मुद्दों और संबंधित वित्तीय जोखिमों को समझने, आकलन करने और योजना बनाने के लिए तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल तभी वे नवाचार की ओर बढ़ने, रणनीतिक निर्णय लेने, पूंजी जुटाने और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संक्रमण योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम होंगे। इस क्षमता निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू छोटी फर्मों और एमएसएमई की मदद करना होगा ताकि उनके लिए संक्रमण की ओर बढ़ने में आसानी हो सके।

ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि हम सभी एक ही नाव में हैं और किसी एक इकाई द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम सभी के लिए होंगे। इसलिए, वैश्विक सहयोग और सामूहिक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए

[1] https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RCF03052023395FAF37181E40188BAD3AFA59BF3907.PDF

समाधान खोजने में एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि इसके लिए अतीत में देशों के उत्सर्जन योगदान की मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। जब हम पूर्ण उत्सर्जन के बजाय प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को मापते हैं या उत्पादन-आधारित उत्सर्जन के बजाय खपत-आधारित उत्सर्जन पर विचार करते हैं, तो उच्च आय वाले देश वैश्विक CO2 उत्सर्जन में अपने योगदान के लिए अलग दिखाई देते हैं। दुर्भाग्य से, यह भी एक वास्तविकता है कि, जबकि हम सभी जलवायु परिवर्तन के प्रकोप का सामना करते हैं, मध्यम और निम्न आय वाले देश उत्पादन क्षमता में हानि, संपत्ति की क्षति और धन हानि और सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव के मामले में लागत का अनुपातहीन हिस्सा वहन करते हैं। इसलिए, किसी भी प्रकार के समाधान में देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचयी कार्बन मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जमीनी स्तर पर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विभिन्न जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, और जो किया जा रहा है, और जो करने की आवश्यकता है, उसके बीच का अंतर केवल बढ़ रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्वीकार की गई 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता राशि के मुकाबले, 2020 में केवल 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए गए हैं, जो 2019 से सिर्फ 4 प्रतिशत की वृद्धि है। इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है।

अंत में, जलवायु परिवर्तन से निपटना हम सभी के लिए एक लंबी दौड़ होने जा रही है। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब अन्य मुद्दे और चिंताएं उभरेंगी और प्राथमिकता की मांग करेंगी, लेकिन हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए नियोजित और समन्वित प्रयासों के दीर्घकालिक लक्ष्य को नहीं खोना चाहिए। जितनी जल्दी हम सभी कार्य शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम होगा।

धन्यवाद।